



राजस्थान आवासन मण्डल

आवास भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर - दूरभाष : 0141-2744688

राजस्थान की राजधानी जयपुर की पूर्ण विकसित प्रतिष्ठित योजनाओं में

// खुली भव्य नीलामी //

द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूखण्ड खरीदने का स्वर्णिम अवसर



योजना का नाम :- सेक्टर-14, शिप्रा पथ, मानसरोवर

क्र.सं.	भूखण्ड सं.	सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)	न्यूनतम बोली मूल्य (रु.प्रति वर्ग.मी.)	नीलामी तिथि/ समय
1	140/C	भूखण्ड (कॉर्नर)	3019.80	80,000/-	दिनांक 29.01.2020 समय प्रातः 11 बजे

योजना का नाम :- महल रोड़, प्रताप नगर

1	251/G-1	भूखण्ड	3291.14	79,200/-	दिनांक 29.01.2020 समय प्रातः 11 बजे
2	251/G-2	भूखण्ड (कॉर्नर)	3587.91	80,200/-	

नीलामी स्थल राजस्थान आवासन मण्डल, आवास भवन, (बोर्ड रूम) जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

नोट : विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी के लिए राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर विजिट करें।

राज. संवाद/सी/4381/2019-20

हमारा प्रयास, सबको आवास



राजस्थान आवासन मण्डल

भव्य खुली नीलामी

नियम व शर्तें: 1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को "राशि रूपये 10 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रूपये 10 करोड़ एवं अधिक मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी" 2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुये 72 घन्टे में सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के कार्यालय में जमा करानी होगी। सभी राशियाँ बैंकर्स चैक/डी.डी. के द्वारा जो राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम देय होगा जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 72 घन्टे में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के उपरान्त नीलामी स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा। 3. माँग पत्र में स्वीकृत बिड की शेष 90 प्रतिशत राशि के साथ मण्डल नियमानुसार अन्य देय राशियाँ लीजमनी, अन्य विविध चार्ज, सेवा एवं वस्तुकर (GST) आदि की माँग की जावेगी तथा उच्चतम बोली दाता को आवंटन पत्र की माँग राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी। 4. सफल बोलीदाता के निर्धारित अवधि में माँग राशि जमा कराने में असफल रहने पर नीलामी के स्वतः निरस्तीकरण दिनांक के पश्चात बोलीदाता के निवेदन पर एवं माँग राशि का 1 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क जमा कराने पर 60 दिवस तक सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त की अनुमति से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित शेष राशि देने की दशा में बोली को नियमित किया जा सकेगा। 61 से 90 दिवस तक आवासन आयुक्त की अनुमति से बकाया राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेते हुये बोली को नियमित किया जा सकेगा एवं 91 दिवस से 120 दिवस तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेते हुये अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल की अनुमति से नियमित किया जा सकेगा। नीलामी के स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से 120 दिवस पश्चात आगामी 90 दिवस में मण्डल बैठक अथवा मण्डल द्वारा अधिकृत समिति द्वारा शेष बकाया राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज राशि जमा करवाकर नीलामी को नियमित किया जा सकेगा। नीलामी के स्वतः निरस्तीकरण के 210 दिवस पश्चात राज्य सरकार आगामी 120 दिवस के भीतर बकाया राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज जमा करवाने पर नीलामी को नियमित कर सकेगी। 5. ब्याज की गणना निर्धारित अवधि के बाद भूतलक्षी प्रभाव से नीलामी बोली स्वीकृति करने की दिनांक से वसूलनीय होगी। 6. सम्पत्ति "जहाँ है जैसी है" की स्थिति में ही नीलाम की जायेगी तथा आवास/आवासीय भूखण्ड केवल आवासीय प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लिए जा सकेंगे। 7. लीज राशि निर्मित आवास हेतु भूमि एवं विकास दर की 2.5 प्रतिशत, आवासीय भूखण्ड के लिये भूमि एवं विकास दर की 1.5 गुणा की 2.5 प्रतिशत एवं व्यावसायिक भूखण्ड/दूकान के लिये लीज राशि भूमि एवं विकास दर की 5 प्रतिशत होगी तथा लीज राशि व एक मुश्त लीज राशि पर नियमानुसार सेवा एवं वस्तु कर (GST) देय होगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने की अवस्था में अमानत राशि सहित सभी जमा राशियाँ जब्त करते हुए सम्बन्धित प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जावेगा। 8. नीलामी से संबंधित समस्त राशि नकद रूप में प्राप्त न की जाकर पे-आर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त की जावेगी। 9. खुली बोली न्यूनतम 1000/- रूपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी। 10. नीलामी समिति का अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय बोली कार्य को

स्थगित/निरस्त कर सकेगी। खुली बोली में न्यूनतम तीन बोलीदाता अवश्य होने चाहिये अन्यथा बोली स्थगित कर दी जावेगी। 11. फर्म द्वारा नीलामी : यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 12. **लीज अवधि एवं लीज राशि** : भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के बाद बढ़ाई जा सकेगी। आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में अथवा नया वर्ष शुरू होने से 30 दिवस में पूर्व में वार्षिक लीज राशि की सात गुना (पूर्व में जमा एक वर्ष की लीज के अतिरिक्त) राशि एक मुश्त लीज राशि के रूप में जमा करायी जा सकती है। 13. व्यावसायिक भूखण्ड "जहां है जैसा है" के आधार पर विक्रय किया जावेगा। भूखण्ड पर यदि किसी प्रकार की बिजली/पानी की लाईन/पोल इत्यादि लगा हुआ है तो उसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जायेगी। उसके हटाने का खर्चा स्वयं क्रेता वहन करेगा। इस बाबत कोई शर्त मण्डल को स्वीकार्य नहीं होगी। 14. **भूखण्ड का पंजीयन** :- विक्रय किये गये आवास/भूखण्ड की लीज डीड सम्बन्धित क्रेता द्वारा विक्रय राशि जमा कराने के पश्चात् भौतिक कब्जा प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन व्यय वहन कर पंजीयन हेतु आवेदन करने पर उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालय द्वारा संबंधित क्रेता के पक्ष में आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस में पंजीयन निष्पादन करवाना अनिवार्य होगा। 15. **भूखण्ड पर निर्माण** : - क्रेत किये गये भूखण्ड का भौतिक कब्जा प्राप्त करने तिथि से दो वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। दो वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य नहीं करवाने पर मण्डल के द्वारा समय समय पर जारी नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही कराना होगा तथा शहरी निकाय के प्रचलित भवन निर्माण विधियों के मान दण्डों का ध्यान रखा जायेगा। निरस्तीकरण एवं भूखण्ड जब्ती की अपील राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। राज्य सरकार के निर्णय की राजस्थान आवासन मण्डल पर बाध्यता होगी। 16. स्थानीय प्राधिकरण के बिल्डिंग बाईलॉज अपनाते हुए और सम्बंधित प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य करवाना होगा। 17. नीलामी के बोलीदाता के साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जावेगा। 18. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होंगी। 19. अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित आवासीय अभियन्ता के कार्यालय में सम्पर्क करें।